

पत्रांक

/आयुक्त, उत्तराखण्ड/फार्म-अनु0/2011-12/आ0पो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/देहरादून

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म-अनुमान)

देहरादून-दिनांक 2 अक्टूबर, 2011

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम-30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं अपर आयुक्त, वाणिज्य कर उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप-XVI) जिराने खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम(9) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, जो तत्कालिक प्रभाव से अविद्य घोषित करता हूँ:-

क्र० सं०	आयात का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	शक्तिश्री ऑनलाइन थर्मोटेक्नोलॉजी प्रा० लि०, रुद्रपुर।	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-B2009-1640533.

(बी०के०सक्सेना)

अपर आयुक्त, वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पु०पा०संख्या 4065/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राशुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार)को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले मजद से प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराते का कष्ट करे।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन रुद्रपुर।
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमायूँ जोन रुद्रपुर।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतियाँ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. डिप्टी कमिश्नर (वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी।
6. ऑसिस्टेंट कमिश्नर (सचल दल/वि.अनु.शा.)वाणिज्य कर, देहरादून/विकासनगर/हरिद्वार/रुड़की/काशीपुर/रुद्रपुर/खटीमा/हल्द्वानी।
7. प्रभारी अधिकारी जंचचौकी, हुल्हाल, विमली, आशारोड़ी, ढालीपुर, चोली, कुआँहेडी, चिंडियापुर, तुमलपुर, कौडिया, अगरपुर, धर्मपुर, शाहगंज, महेशपुरा, रुद्रपुर, सुतईया, टेंडाघाट।
8. रजिस्ट्रार जंच चौकी, देहरादून, आधिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी।
9. श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-6, देहरादून / web. information officer की वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

587
24/10/11

आ.प्र. विभाग/आयुक्त
आवश्यक कार्यवाही करें

डिप्टी कमि (वि.नि)-6
वाणिज्य कर देहरादून

23 X 2011

अपर आयुक्त, वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम-30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं अपर आयुक्त, वाणिज्य कर उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप-XVI) गिराफे खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम(9) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:-

क्र0 स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री ऑलक्राफ्ट थर्मोटेक्नोलॉजी प्रा0लि0, रुद्रपुर।	प्ररूप-XVI (01)	<u>U.K.VAT-B2009-1640533,</u>

(वी0के0सक्सेना)

अपर आयुक्त, वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0प0संख्या 4065/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार)को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले मजद में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करे।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन रुद्रपुर।
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढवाल जोन हरिद्वार/कुमायूँ जोन रुद्रपुर।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि ये उक्त पत्र की प्रतियाँ संभरत कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. डिप्टी कमिश्नर (वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी।
6. असिस्टेन्ट कमिश्नर(सचल दल/वि.अनु.शा.)वाणिज्य कर, देहरादून/विकासनगर/हरिद्वार/रुड़की/काशीपुर/रुद्रपुर/खटीमा/हल्द्वानी।
7. प्रभारी अधिकारी जौंचौकी, कुल्हाल, तिमली, आशारोड़ी, ढालीपुर, चौली, कुआँहेडी, चिडियापुर, तुगलपुर, कोडिया, अमरपुर, धर्मपुर, शाहगंज, महेशपुरा, रुद्रपुर, सुतईया, टैंडाघाट।
8. रेंजि जौंचौकी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी।
9. श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-6, देहरादून / **web. information officer** NIC को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

587
24/10/11

आ.प्र. (विभाग)/आतपाका
आवश्यक कार्यवाही करे

डिप्टी कमिश्नर (वि.अनु.शा.)-6
वाणिज्य कर, देहरादून

22 X 2011
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।